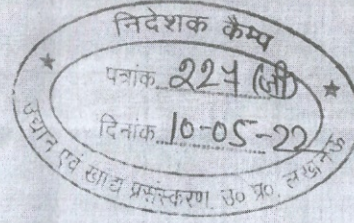


प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।



सेवा में,

निदेशक,  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 9 मई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी.बी.टी. के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-15/आई०टी०सेल/2022-23, दिनांक 22.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०-53/2021-1588/58-2021-118/2016, दिनांक 21.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी.बी.टी. (कैश/काइन्ड) के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

1. रोपण सामग्री एवं औद्यानिक निवेश की व्यवस्था-

(क) रोपण सामग्री (पौध, बल्ब) की व्यवस्था प्रथमतः विभागीय नर्सरियों/पौधशालाओं/सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस/मिनी सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस से की जायेगी। इसके पश्चात् अनुपलब्धता की दशा में आई.सी.ए.आर., राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड (एन.एच.बी.) द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित नर्सरियों/पौधशालाओं एवं प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत नर्सरियों/पौधशालाओं से क्रय कर लाभार्थी कृषकों को इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा। यह व्यवस्था गंगा के तटीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास तथा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजनाओं में उद्यान रोपण कार्यक्रम में भी लागू होगी।

(ख) टिशूकल्चर पौध, संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज, औषधीय फसलों हेतु बीज एवं पौध, पुष्प के बीज/बल्ब, बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेन्ट्स, वर्मीकम्पोस्ट/नीमकेक, पालीथीन बैग, मल्लिंग शीट, वर्मीबेड एवं प्लास्टिक क्रेट्स आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा इम्पैनल्ड फर्मों/निविदा के माध्यम से अथवा केन्द्रीय/राज्य बीज उत्पादन संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रतिष्ठान (एन.एच.आर.डी.एफ.) केवल प्याज एवं लहसुन बीज हेतु, नेशनल सीड कारपोरेशन (एन.एस.सी.), उ०प्र० बीज विकास निगम, उ०प्र० राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) एवं कृषक उत्पादक समूह (एफ.पी.ओ.) से क्रय किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की धनराशि की सीमा तक इनपुट्स/काइन्ड डी.बी.टी. के रूप में वितरित किया जायेगा।

FC

9.5.22

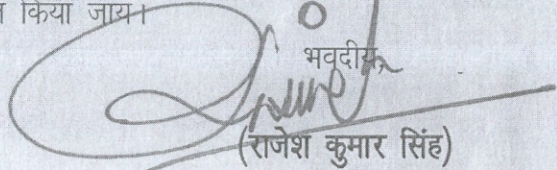


## 2. प्रोजेक्ट आधारित कार्यों की व्यवस्था:-

शेडनेट हाउस/पालीहाउस, मशीनीकरण, मौनपालन, वर्मी कम्पोस्ट/पक्का स्ट्रक्चर, निजी क्षेत्र में पौधशाला, टिशूकल्चर प्रयोगशाला, सीड. इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाई, मशरूम इकाई, शीतगृह, पैकहाउस, प्याज भण्डार गृह, लघु प्रसंस्करण इकाई एवं मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव प्रदेश के पंजीकृत/चयनित योजना लाभार्थियों से आनलाइन आवेदन प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन/स्वीकृत कराया जायेगा। पंजीकृत/चयनित कृषकों के द्वारा स्वयं के संसाधनों से इकाई का निर्माण कराया जायेगा। निदेशालय के द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। मानक के अनुरूप पाये जाने पर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अथवा ऋणदाता बैंक के रिजर्व फण्ड में किया जायेगा।

3. आपूर्तित सामग्री का सत्यापन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए वित्तीय वर्ष-2022-23 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. (कैश/काइन्ड) के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त व्यवस्था निर्धारित की जाती है। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

  
भवदीय  
(राजेश कुमार सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 31 /2022-816(1)/58-2022, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0 द्वारा-निदेशक।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा-निदेशक।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)  
उप सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0,  
उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग लखनऊ-226001

दूरभाष-0522-4044414, E-Mail-dirhorti@rediffmail.com

पत्रांक :-

74

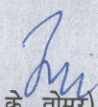
/आई0टी0सेल/2022-23/लखनऊ :

दिनांक : 07 जून, 2022

प्रतिलिपि:-

शासनादेश सं0-31/2022-816/58-2022-118/2016 दिनांक 09.05.2022 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त योजनाधिकारी, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
4. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।

  
(आर.के. तोमर)  
निदेशक